

इंस्पायर (INSPIRE) छात्रवृत्ति

Scholarship for Higher Education (SHE)

विज्ञान विषय में उच्च अध्ययन हेतु रुपये 80,000/– वार्षिक की छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में विज्ञान विषय के प्रति आकर्षित करने हेतु INSPIRE छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 में Top 1% में स्थान प्राप्त विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को B.Sc या M.Sc Integrated Courses / MS में प्रवेश लेने पर प्रतिवर्ष रुपये 80,000/– की छात्रवृत्ति देय है। उच्च माध्यमिक परीक्षा के विज्ञान संकाय में Top 1% Cut off प्राप्तांक परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त तय होंगे तथा इसकी सूचना बोर्ड की वेबसाइट **www.rajeduboard.nic.in** पर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 के समस्त संकायों का परीक्षा परिणाम घोषित होने के लगभग एक माह पश्चात् उपलब्ध करवा दी जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा विज्ञान संकाय के Top 1% विद्यार्थियों को INSPIRE छात्रवृत्ति हेतु पात्रता-पत्र (Advisory Note) परीक्षा परिणाम की घोषणा के लगभग दो माह पश्चात् उन विद्यालयों के पतों पर प्रेषित किए जाएंगे जहाँ से उन्होंने कक्षा XII उत्तीर्ण की है। विद्यार्थी अपने विद्यालयों से पात्रता-पत्र (Advisory Note) प्राप्त कर लें। ये पात्रता-पत्र (Advisory Note) विद्यार्थी के Top 1% में होने का प्रमाण एवं छात्रवृत्ति योजना की सूचना मात्र है। छात्रवृत्ति हेतु इच्छुक विद्यार्थी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के निर्देशानुसार आवेदन करना होगा।

यदि विद्यार्थी ने B.Sc Integrated M.Sc or MS in Basic and Natural Science Courses [Like - Mathematics or Statistics or Physics or Chemistry or Life Science (Botany or Zoology) or Astrophysics or Astronomy or Electronics or Bio-chemistry or Anthropology or Microbiology or Geophysics or Geochemistry or Atmospheric Science or Oceanic Sciences] में किसी भी पाठ्यक्रम में यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एनरोलमेन्ट करवाया है तो वेबसाइट **http://www.inspire_dst.gov.in/requirement.html** पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाने एवं **http://www.inspire_dst.gov.in/inspire_advertisement.pdf** से डाउनलोड करके भी आवेदन-पत्र भर सकते हैं। विद्यालय से प्राप्त INSPIRE छात्रवृत्ति पात्रता-पत्र को भरे हुए आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 को प्रेषित करना होगा।





माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना 2013-14

पात्रता	1. यह छात्रवृत्ति सिर्फ भारतीय मूल के विद्यार्थियों को ही देय। 2. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियमित अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ही यह छात्रवृत्ति देय है। 3. विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 में उत्तीर्ण संकायवार Top 20% में स्थान प्राप्त हो- छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। संकायवार Top 20% Cut off प्राप्तांक की सूचना उ.मा.परीक्षा 2013 के तीनों संकायों के परीक्षा परिणामों की घोषणा के लगभग 1 से 2 माह पश्चात् बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जायेगी। 4. विद्यार्थी किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। 5. अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6. विद्यार्थी Non Creamy Layer से सम्बन्धित होना चाहिए, जिसकी परिभाषा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी अधिसूचना सं. 36012/22/93 Estt (SCT) दिनांक 08.11.1993 में दी है तथा जिसमें ओ.एम.नं. 36033/3/2004 Estt (Res) दिनांक 09.03.2004 के द्वारा संशोधन किया गया है तथा जिसमें समय-समय पर आगे भी संशोधन किया जा सकता है।
छात्रवृत्ति की राशि एवं अवधि	• उच्च शिक्षा में अध्ययन के पाँच वर्ष तक नियमित देय। • स्नातक स्तर पर यह छात्रवृत्ति महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के प्रथम तीन वर्ष तक राशि रुपये 1000 प्रति माह प्रति छात्र की दर से प्रतिवर्ष रुपये 10,000/- एकमुश्त तथा स्नातकोत्तर स्तर या स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के चौथे एवं पांचवें वर्ष में 2000/- रुपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष रुपये 20,000/- एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
छात्रवृत्तियों की संख्या	• कुल छात्रवृत्तियाँ 3978 है। • विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग के उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 3:2:1 के अनुपात में यह छात्रवृत्ति आवंटित होगी, जिसमें विज्ञान संकाय में 1989, वाणिज्य संकाय में 1326 एवं कला संकाय में 663 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जायेगी, जिसका छात्र/छात्राओं में समान संख्या में वितरण होगा। छात्रवृत्ति के लिये विद्यार्थियों का चयन प्राप्त आवेदन पत्रों में से वरीयता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग वर्ग में केन्द्रीय आरक्षण नीति की शर्तों तथा आन्तरिक चिन्हित के आरक्षण नियमानुसार होगा।
आवेदन प्रक्रिया	• केन्द्रीय छात्रवृत्ति 2013 हेतु आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जायेंगे। छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों का प्रिन्ट आउट मय दस्तावेज निर्धारित तिथि तक बोर्ड कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन स्वतः ही निरस्त योग्य हो जायेगा। • छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध करवाई जाती रहेगी।
छात्रवृत्ति भुगतान विधि	• चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि उनके स्वयं के नाम के बैंक खाते में सीधे ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा Direct Benefits Transfer (DBT) योजना के माध्यम से दी जायेगी। • आवेदक अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक में जहाँ E.C.S. सुविधा हो में खुलवायें एवं बैंक का नाम मय पता, खाता संख्या, IFSC कोड एवं बैंक ब्रान्च कोड सही-सही लिखें। • छात्रवृत्ति राशि अभिभावक के या 'Joint' खाते में जमा कराने या ड्राफ्ट से भेजने का अनुरोध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
छात्रवृत्ति का नवीनीकरण	• छात्रवृत्ति के लिए चयन होने के पश्चात् नवीनीकरण के लिए अलग से नवीनीकरण आवेदन पत्र द्वारा आवेदन करना होगा। • एक बार निरस्त होने या रुकने के बाद छात्रवृत्ति बन्द हो जाती है जिसे पुनः प्रारम्भ नहीं किया जाता है। • नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड पर की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। • नवीनीकरण अगली कक्षा में कक्षाश्रित पर निर्भर होगा। 60% या अधिक अंक या समान श्रेणी (Grade) प्राप्त या दो सेमेस्टर्स में कुल अंकों के औसत न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण तथा कम से कम 75% उपस्थिति का होना अनिवार्य है। विद्यार्थी अनुशासनहीनता एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं हो।
संलग्न आवश्यक दस्तावेज	• कक्षा XII की अंकतालिका की सत्यापित प्रति। • 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित आय शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप में। • आयकर रिटर्न/फार्म नं. 16 की सत्यापित प्रति। • स्वयं के बैंक खातों की पासबुक की सत्यापित फोटोप्रति। • जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटोप्रति (यदि लागू हो) • विकलांग प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (यदि लागू हो) • 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (निर्धारित प्रारूप में) अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र। • आधार कार्ड की सत्यापित फोटो प्रति।

आय शपथपत्र (INCOME AFFIDAVIT)

(रु. 10/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत छात्रवृत्तियों के संबंध में माता-पिता/अभिभावक की 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय संबंधी घोषणा।

मैं (माता/पिता)..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
निवास

एवं

मैं (माता/पिता)..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
निवास

शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ/करती हूँ :-

1. कि मेरा/पुत्र/पुत्री/आश्रित श्री/कुमारी
संस्था का नाम में पढ रहा/रही
है एवं कोई अन्य छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं कर रहा है।
2. कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए गत वर्ष में संलग्न अनुसूची में दिये गये विवरण के अनुसार मेरी वार्षिक आय (विद्यार्थी के माता-पिता दोनों नौकरी या व्यवसायरत होने पर दोनों की आय का योग लिखें) समस्त स्रोत (वेतन, व्यापार, किराया, कमीशन, पेंशन, जमीन, जायदाद आदि) से रुपये
है मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे स्वामित्व में जो सम्पत्ति है वह अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार है तथा मैंने मेरे द्वारा भुगतान किए गए करों/उपकरणों तथा भूमि राजस्व को सही-सही दर्शाया है। मेरे द्वारा उपलब्ध करवाये गए तथ्यों और आंकड़ों के लिए अपने आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता हूँ।
3. कि उपरोक्त अनुच्छेदों में दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।
4. कि मैं यह भी वचन देता हूँ की इस घोषणा में दिए गए विवरण के असत्य पाये जाने पर मैं छात्र/छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति राशि का **दो गुना** भुगतान भारत के राष्ट्रपति को लौटा दूंगा तथा तथ्यों की असत्यता के संबंध में सरकार का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
5. कि मैं आदेश सं. DOPT OM NO 36033/5/2004.ETT (res) दिनांक 14.10.2004 के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता हूँ।

अभिभावक हस्ताक्षर *

मय पूरा नाम

पिता के हस्ताक्षर

माता के हस्ताक्षर

लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) या दण्डनायक/प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी प्रशासक/राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित जो कि स्वयं भी अपने पद की मुद्रा सहित हस्ताक्षर करेगा।

मुद्रा सहित हस्ताक्षर

* माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर यदि दोनों नौकरी/व्यवसाय करते हैं।

Affidavit

कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने के शपथ पत्र का प्रारूप

मैंपुत्र/पुत्री श्री.....
शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी संस्थान या व्यक्ति से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही है। यदि अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो उसे छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर पुनः लौटा दूँगा/दूँगी।

1. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

.....

.....

दूरभाष नं. :

मोबाइल नं. :

2. अभिभवाक के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

.....

दूरभाष नं. :

मोबाइल नं. :